



हरियाणा वधानसभा चुनाव 2024: मतदान प्रतशित


चर्चा में क्यों?


हाल ही में हरियाणा में 15वाँ [वधानसभा आम चुनाव](#) हुआ, जिसका मतदान **5 अक्टूबर, 2024** को हुआ।

मुख्य बदि

- कुल मतदान प्रतशित:
 - हरियाणा में वधानसभा चुनाव में **67.90%** मतदान हुआ।
 - सर्वाधिक मतदान: [सरिसा](#) ज़िले में **75.36%** मतदान हुआ।
 - न्यूनतम मतदान: [फरीदाबाद](#) ज़िले में **56.49%** मतदान हुआ।
- वधानसभा क्षेत्रवार मतदान वशिलेषण:
 - सर्वाधिक मतदान: ऐलनाबाद वधानसभा क्षेत्र में **80.61%** मतदान हुआ।
 - न्यूनतम मतदान: बड़खल वधानसभा क्षेत्र में **48.27%** मतदान हुआ।
- मतदान आँकड़े:
 - हरियाणा में कुल मतदाता: 2,03,54,350
 - मत डाले गए: 1,38,19,776
 - पुरुष: 74,28,124
 - महिलाएँ: 63,91,534
 - तृतीय ललग मतदाता: 118
- मतों की गनिती **8 अक्टूबर, 2024** को होगी।

//





राज्य वधानसभाओं के नरिवाचन से संबंघति भारतीय संवधान के अनुच्छेद:

- अनुच्छेद 170: यह अनुच्छेद राज्यों की वधान सभाओं की संरचना के बारे में प्रावधान करता है ।
- अनुच्छेद 171: यह अनुच्छेद राज्यों की वधान परिषदों की संरचना से संबंघति है ।
- अनुच्छेद 172: यह अनुच्छेद राज्य वधानमंडलों की अवधिके बारे में बताता है ।
- अनुच्छेद 173: इसमें वधानसभाओं और परिषदों की सदस्यता के लिये अरहताओं का वविरण दिया गया है ।
- अनुच्छेद 174: इस अनुच्छेद में राज्य वधानमंडल के सत्त्रों के आह्वान और सत्त्रावसान के बारे में चर्चा की गई है ।
- अनुच्छेद 175: यह राज्य वधानमंडल में राज्यपाल के अभिभाषण का प्रावधान करता है ।
- अनुच्छेद 212: इसमें कहा गया है कि वधायिका की कार्यवाही की वैधता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता ।